



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्या:- 72/2024

शीर्षक:- राजश्री पंवार बनाम हेमेन्द्रसिंह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
2.05.2025	<p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद मे प्रार्थना पत्र बाबत् मिसल तलबी हेतु प्रस्तुत किया। मूल वाद मे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से पत्रावली तलब की गई। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र को विद्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया अपना नया प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार रिजर्व रखते हुये इस प्रार्थना पत्र में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की पहचान उनके अधिवक्ता किशनलाल शर्मा द्वारा की गई। दिनांक 23.12.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली खारिज(विद्रो) की जाती है। पत्रावली तदनुसार निर्णित हो।</p> <p>(गोविन्द सिंह) न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द</p>	<p>Rajshree</p>